

पत्रिका 2016.
17/10/22

22/10/22 पत्रावली पेस हुई। अभिभावक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/10/22 को पेस हो।

27/10/22 पत्रावली पेस हुनी। वादी व वकील वादी अनुपस्थित। ब्याज-ब्याज लगावामी गयी। ब्याज लगावामे के उपरान्त भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। नतः वादी का वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दि कल होकर दफ्तर साखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

